

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

--: मंत्रालय ::--

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 546 / PFMS / ब-4 / चार,
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/07/2021

संचालक
संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
छत्तीसगढ़

विषय :- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि विमुक्ति की संशोधित प्रक्रिया ।
संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय का ज्ञाप. क्र. 67 / PFMS / ब-4 / चार,
दिनांक 11.05.2021, क्र. 135 दिनांक 31.05.2021, क्र. 245 दिनांक 22.06.2021,
क्र. 367 दिनांक 08.07.2021 एवं 434 दिनांक 16.07.2021

-----00-----

केन्द्र सरकार के ज्ञाप क्र 01 (13) PFMS/FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 द्वारा केन्द्र प्रयोजित योजनाओं में राशि विमुक्तिकरण की संशोधित प्रक्रिया के संबंध में सूचित किया गया है। वित्त विभाग छ.ग. शासन द्वारा उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन के संबंध में संदर्भित ज्ञापनों के माध्यम से निर्देश प्रसारित किये गये हैं। PFMS-SPMU अवगत कराया गया है कि वर्तमान में किसी भी केन्द्र प्रयोजित योजनाओं (CSS) के लिए नवीन प्रक्रिया अनुसार SNA एवं IAs की Mapping PFMS में नहीं की गई है। संदर्भित ज्ञापनों के अनुसार उक्त कार्य को पूर्ण कराने के लिए समन्वय हेतु एवं वित्त विभाग की ओर से PFMS के नोडल अधिकारी के रूप में **संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन** को अधिकृत किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार PFMS के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः प्राथमिकता पर विभिन्न विभागों में पदस्थ वित्त सेवा के अधिकारियों को निर्देशित कर उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण करने में PFMS-SPMU को सहयोग प्रदान करें। पूर्व में भी इस संबंध में विभागों से प्राप्त विभिन्न जानकारियों को समेकित करने हेतु निर्देश दिये हैं। प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं अंतिम तिथि को अद्यतन स्थिति से वित्त विभाग को अवगत करावें।


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 547/PFMS/ब-4/चार,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/07/2021

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय को सूचनार्थ।
2. शासन के समस्त, विभागाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ।
3. राज्य नोडल अधिकारी (एस.पी.एम.यू.) पी.एफ.एम.एस., प्रथम तल, ब्लॉक-1, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग